(670)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/होशंगाबाद/स्टांप अधि./2017/2212 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–4–2017 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प होशंगाबाद प्रकरण कमांक 110/बी–103/2016–17.

शिवा कार्पोरेशन (इंडिया) लि.
15/978 ए रूद्र कॉलौनी
कलेक्टर निवास के सामने, होशंगाबाद ....आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा उप पंजीयक, होशंगाबाद
2– कलेक्टर आफ स्टाम्प
एवं जिला पंजीयक, होशंगाबाद ....अनावेदकगण

श्री जे.पी.एस. पटेल, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/1/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–4–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवेदन वर्ष 2013–14 (रा.प्रा.) कमांक 5 की कंडिका कमांक 6.2.10.2 में आक्षेपित किया गया कि आवेदक एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के मध्य निष्पादित रेत विकी अनुबंध पत्र दिनांक 13–3–2013 न्यूनतम स्टाम्पित है । उक्त आक्षेप के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 110/बी–103/2016–17 दर्ज कर दिनांक 6–4–2017 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 22,04,900/– एवं अधिनियम

की धारा 40–ख के अन्तर्गत अर्थदण्ड राशि 16,50,000 / – कुल रूपये 38,54,900 / – जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3 / आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसके एवं म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के मध्य किसी प्रकार का कोई पट्टा अथवा उप पट्टा निष्पादित नहीं हुआ है, केवल म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के आधिपत्य की रेत खादानों से रेत विक्रय करने का ठेका दो वर्ष के लिए हुआ है । इस आधार पर कहा गया कि जब आवेदक के पक्ष में कोई पट्टा अथवा उप पट्टा निष्पादित हुआ ही नहीं है, तब मुद्रांक शुल्क दिये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है, इस वैधानिक स्थिति पर कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा रेत के मूल्य पर वेट अदा किया गया है और यदि उसके पक्ष में पट्टा होता तो वेट अदा करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, इसलिए 100 / – के मुद्रा पत्र पर लिखित निष्पादित की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक के पक्ष में अचल सम्पत्ति में कोई हित अन्तरित नहीं हुआ है तथा खदान का विधिक कब्जा खनिज निगम के पास ही रहा है, जिस पर कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा कोई विचार नहीं करने में अवैधानिकता की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि मूल लिखत परिबद्ध करने के उपरांत ही शास्ति अधिरोपित की जा सकती है, प्रतिलिपि के आधार पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है । उनके द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4 / अनावेदकगण के अभिभाषक को सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना था, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

5 / आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में मध्य प्रदेश स्टेट मायनिंग कार्पोरेशन तथा आवेदक शिवा कार्पोरेशन के मध्य जो अनुबंध हुआ है, उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश स्टेट मायनिंग कार्पोरेशन ने रेत के विक्रय के लिए अनुबंध किया है । मध्य प्रदेश स्टेट मायनिंग कार्पोरेशन एक सरकारी उपकम है और उनके द्वारा रेत का विकय अनुबंध किया गया है, जो अनुबंध किया गया है, उसका शीर्षक भी यही दिया गया है । एक शासकीय उपकम के द्वारा गलत अनुबंध करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । स्पष्ट है कि दस्तावेज का स्वरूप रेत

के विक्रय के अनुबंध पत्र का ही है । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन खदान का पट्टा राज्य शासन के द्वारा स्टेट मायनिंग कार्पोरेशन को दिया गया है । स्टेट मायनिंग कार्पोरेशन द्वारा उनको मिली खदानों में उत्खनित होने वाली रेत को विक्रय करने के लिए यदि किसी अन्य संस्था से अनुबंध करते हैं तो यह एक सामान्य व्यवसायिक प्रक्रिया है । निश्चित रूप से इसको पट्टा अथवा उप पट्टा मानने में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा त्रुटि की गई है ।

अधिनियम की धारा 2 (16) के अनुसार अचल सम्पत्ति का हस्तांरण पट्टे की श्रेणी में माना गया है । प्रश्नाधीन लिखत अधिनियम की धारा 2 (16) के अंतर्गत लीज या सब लीज की श्रेणी में परिभाषित नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा किसी अचल सम्पत्ति या उसके किसी भाग को आवेदक को हस्तांतरित नहीं किया गया है । जहां तक रेत के परिवहन का प्रश्न है, रेत को अचल संपत्ति की परिधि में नहीं माना जा सकता है । 2015 आर.एन. 549 में स्पष्ट निर्धारित किया गया है कि "धारा 33, 40–ख, 2(16) अनुसू. 1–क, अनु. 5 (छ)–राज्य खनिज निगम द्वारा आवेदक के साथ रेत परिवहन के लिए करार–पट्टा या उप–पट्टा नहीं है । मुद्रांक शुल्क और शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती ।"

अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व आवेदक संस्था अथवा स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन का पक्ष भी जानने का समुचित प्रयास नहीं किया गया । किसी लिखित में जो लिखा है, उससे बाहर जाकर निष्कर्ष तभी निकाले जा सकते हैं, जबकि ऐसे निष्कर्ष के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण अभिलेख पर उपलब्ध हों । इस प्रकरण में कलेक्टर आफ स्टाम्प के समक्ष ऐसे कोई भी आधार / प्रमाण उपलब्ध नहीं थे और न ही उन्होंने निष्कर्षों के समर्थन में कोई साक्ष्य लेने का प्रयास किया है ।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में प्रश्नाधीन लिखत को अधिनियम की धारा 2(16) के अंतर्गत पट्टा / उप पट्टा की श्रेणी में मानने में त्रुटि की गई है तथा इसका स्वरूप रेत विक्रय के अनुबंध का ही है, अतः यह लिखत अधिनियम की सारणी 1 (क) के अनुच्छेद 5(छ) के अंतर्गत ही मान्य होगा, जिस पर मात्र 100 / – रूपये के स्टाम्प शुल्क देय है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 6—4—2017 विधिवत एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर